


7/12/21

पत्रावली पेश हुई। प्रोपत्र प्राची मूलचन्द पुत्र  
 सोनी राम वैरवा (प्राची) जरिये अधिवक्ता मिराल  
 ललाची पर ललब की गई। प्राची मूलचन्द पुत्र सोनीराम  
 ने प्रोपत्र पेश कर प्रोपत्र हीआई को स्वीकृत किये जाने  
 का निवेदन किया। प्राची को आदेशिका पर गेट  
 करवाये जाकर हस्ताक्षर करवाये गये। पहचान अधिवक्ता  
 प्राची की रामकावु शर्मा कारा की गई। अधिवक्ता  
 प्राची ने प्रोपत्र हीआई पर Not proceed किया है।

अतः प्राची का प्रोपत्र बावत स्वीकृत किये जाने  
 प्रोपत्र हीआई स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अध्याइ-  
 निषेधाज्ञा स्वीकृत किया उक्त समझते है।

अतः प्रार्थना - पत्र प्राची अध्याइ - निषेधाज्ञा स्वीकृत  
 में स्वीकृत किया जाता है। पत्रावली प्रेमल कुमार देव  
 विलग्न मूलकाड रहे। निषेध सुनाया गया।

  
 सहायक कलक्टर  
 लालसोट जिला-दौसा (राज.)

Note Page

24/12/21

2000/20

पल्लव नदी

पारत 20

24

7/12/21

मूलचन्द